जिला सैक्टर चालू योजना
आयोजनागत पक्ष
संख्या–715 /xv–1/1(12)/08

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 11 जून, 2009

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान में जिला सैक्टर चालू योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–14/नि0/म०नि०/सा०यो०/2009–10 दिनांक 01.04.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में पशुपालन विभाग की जिला सैक्टर चालू योजनाओं हेतु आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–28 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रुपया 125.20 लाख (रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ट किये जाने की निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र०सं०	जनपद का नाम	धनराशि लाख रू० में
1	नैनीताल	40.00
2	ऊधमसिंहनगर	9.97
3	अल्मोड़ा	6.39
4	बागेश्वर	8.00
5	पिथौरागढ़	6.50
6	चम्पावत	5.50
7	देहरादून	5.50
8	पौड़ी	7.62
9	टिहरी	5.50
10	चमोली	5.50
11	रूद्रप्रयाग	5.68
12	उत्तरकाशी	8.59
13	हरिद्वार	10.45
	योगः–	125.20

(1) उपरोक्त विवरणानुसार निर्गत स्वीकृति को तत्काल मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरुप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय सम्बन्धी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक––4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–91–जिला योजना–9101–पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण–24 –बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–99 (P)/XXVII–4/2009 दिनांक 04 जून, 2009 के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या– 715 (1)/XV–1/2009–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. अपर निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
9. निदेशक, NIC को नेटसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव